

**कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी**  
**रायबरेली**

पत्रांक- 44 /अधि/ राठसु०/ 2020

दिनांक : 16.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराय होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसारण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायबरेली जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निर्बंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निर्बंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. कीलर/ थी. कीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदरगढ़-महाराजगंज-रायबरेली मार्ग संख्या-13ए	हैदरगढ़ से महाराजगंज	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
2.	महाराजगंज इन्हौना मार्ग	महाराजगंज से इन्हौना	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
3.	रायबरेली परशदेपुर मार्ग	रायबरेली से परशदेपुर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
5.	हरचन्दपुर सिरसाघाट मार्ग	हरचन्दपुर से सिरसाघाट	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिवंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

- (i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा— 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिवंधित रथान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम विन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- (ii) उक्त प्रतिवंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—
- अ) अग्नि शमन वाहन
  - ब) एम्बुलेंस ।
  - स) पुलिस वाहन ।
  - द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन ।
  - य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन ।
- (iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा—112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी ।

आज्ञा से,

(संदीप कुमार जायसवाल)  
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/  
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद रायबरेली ।

#### प्र०सं- स०सु०/2020 समदिनांकित-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. परिवहन आयुक्त, उ०प्र० ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ०प्र० ।
3. जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली ।
4. पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ।
5. सहायक निदेशक सूचना, रायबरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में उक्त समाचार प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. व्यूरोचीफ दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज, स्वत्रंत चेतना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया अपने सम्मानित सामाचार पत्र में जनहित में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय / निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली ।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायबरेली ।

(संदीप कुमार जायसवाल)  
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/  
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद रायबरेली ।